सोढानी सीमेंट एंड केमिकल्स (पी) लिमिटेड।

बनाम

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर

सितंबर 10, 2002

[सैयद शाह मोहम्मद कादरी और एस. एन. वरियावा न्यायाधिपतिगण.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 5-ए (1) - छूट अधिसूचना संख्या 23/1989 - सीई दिनांक 1-3-1989 - लघु स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पोर्टलैंड सीमेंट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अनुसूची के उप-शीर्षक 2502.20 के तहत वर्गीकृत - आबकारी प्राधिकरण और न्यायाधिकरण अधिसूचना का लाभ देने से इनकार करते हुए - अभिनिर्धारित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत छूट प्राप्त एक एसएसआई इकाई के लिए लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता की आवश्यकता नहीं है - अपीलार्थी निर्माता द्वारा अधिसूचना की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में कोई विवाद नहीं होने के कारण, उसके द्वारा निर्मित पोर्टलैंड सीमेंट बताई गई अधिसूचना में अधिसूचना की आवश्यकताओं के लाभ का हकदार है - अधिकारियों को अपीलार्थी -निर्माता द्वारा निर्मित सीमेंट को छूट अधिसूचना का लाभ देने का निर्देश दिया गया - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अधिनियम, 1985 - उप-शीर्षक 2502.20 - पोर्टलैंड सीमेंट - का वर्गीकरण

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 537-38 / 1994

सीमा शुल्क, आबकारी और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के ई अपील सं. 2155 / 92 – मय ई 3058/92 - सी में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29/20/1993 से

रमेश सिंह, पी. एस. सुधीर और के. जे. जॉन, अपीलार्थी के लिये।

राजीव नंदा और बी. कृष्ण प्रसाद, प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था-

इन अपीलों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा ई/अपील संख्या 2155/92 - सी मय ई/3058/92 - सी के निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 1993 को चुनौती दी जाती है।

विचार के लिये जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा निर्मित सीमेंट केंद्र सरकार द्वारा जारी केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 5-ए की उप-धारा (1) के तहत

छूट अधिसूचना संख्या 23/1989, सीई दिनांक 1 मार्च, 1989, [संक्षेप में, अधिसूचना '] के लाभ का हकदार है।

अपीलार्थी एक छोटे पैमाने का उदयोग है। यह साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करता है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उप-शीर्षक 2502.20 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उस उपशीर्षक के तहत देय उत्पाद शुल्क रूपये 215 प्रति मीट्रिक टन है। हालांकि, उक्त उपशीर्षक के तहत आने वाला 'सीमेंट', यदि अधिसूचना के लाभ को नुकसान पहुंचाता है तो वह उत्पाद शुल्क की कम की गई दर रूपये Rs.115 प्रति मीट्रिक टन के लिए उत्तरदायी होगा । उत्पाद शुल्क अधिकारियो और न्यायाधिकरण द्वारा यह कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित सीमेंट उक्त अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं था, इसलिए अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहा है।

उक्त अधिसूचना को यहाँ पढ़ना उपयुक्त होगाः

" केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) के तहत जी. एस. आर. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उप-शीर्षक

संख्या 2502.02 के तहत आने वाले सीमेंट को छूट दी गई है और राज्य सरकार में उद्योग निदेशक या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के सीमेंट विकास आयुक्त द्वारा प्रमाणित कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के साथ ऊर्ध्वाधर शाफ्ट भट्टे का उपयोग करके 200 टन प्रतिदिन से अधिक नहीं एक कारखाने में निर्मित किया जाता है, उक्त अनुसूची के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के इतने हिस्से से जो रूपये 115 प्रति टन की दर से गणना की गई राशि से अधिक है।

बशर्ते कि, ऐसे सीमेंट के संबंध में जिसमे कि एक निर्माता केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 175/86,केंद्रीय उत्पाद शुल्क तिथि 1 मार्च, 1986 में भारत सरकार की अधिसूचना में निहित छूट का लाभ उठाता है, इस अधिसूचना में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।

अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने पर, सीमेंट, चाहे निर्माता कोई भी हो, उक्त अधिसूचना द्वारा कवर किया जाएगा य दिः (1) विचाराधीन सीमेंट को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अनुसूची के उप-शीर्षक 2502.20 के तहत वर्गीकृत किया गया है, (2) इस तरह के सीमेंट का निर्माण एक कारखाने में ऊर्ध्वाधर शाफ्ट भट्टे का उपयोग करके किया जाता है, (3)

भट्टे की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्रति दिन 200 टन से अधिक नहीं है, और (4) उपरोक्त आवश्यकताओं को राज्य सरकार में उद्योग निदेशक या भारत सरकार में सीमेंट के लिए विकास आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए. परंतुक का कहना है कि अधिसूचना उस व्यक्ति द्वारा निर्मित सीमेंट पर लागू नहीं होती है जो अधिसूचना संख्या 175/1986-CE दिनांक 1 मार्च, 1986 के तहत छूट का लाभ उठाता है।

अपीलार्थी ने कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के प्रमाणन के लिए उद्योग विकास आयुक्त के कार्यालय से संपर्क किया। जवाब में कहा गया है कि चूंकि S. S. I. इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस कार्यालय द्वारा 'लाइसेंस प्राप्त क्षमता' को प्रमाणित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उसने जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था. प्रमाण पत्र नोट करता है कि अपीलार्थी राजस्थान सरकार के जिला उद्योग केंद्र के यहां पंजीकरण संख्या 17/24/00225 (ABU) PMT/SSI दिनांक 15 फरवरी, 1986 के माध्यम से पंजीकृत था और पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करता है, क्षमता 12,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की है। प्रमाण पत्र को सहायक जिलाधीश के द्वारा जारी की गई अधिसूचना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया गया था, इसलिये उसने अपीलार्थी को उक्त अधिसूचना का लाभ देने से मना कर दिया। जैसा कि उपर वर्णन किया गया है उक्त

आदेश को जिलाधीश (अपील) द्वारा बरकराकर रखा गया है। यह प्रतीत होता है कि एक प्रमाण पत्र जिसका संदर्भ संख्या एफ/22/36-सी/16-सीए/88 दिनांक 1 दिसंबर, 1990 है, को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हमारे द्वारा इस तथ्य को मूल अभिलेख को देखते हुये और उस पर विचार करते हुये सत्यापित किया गया है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ 15 जनवरी, 1986 से 1 फरवरी, 1989 तक इकाई की स्थापित उत्पादन क्षमता का 20 टन प्रति दिन और उसके बाद 40 टन प्रतिदिन के रूप में उल्लेख किया गया है। यह पुन: प्रमाणित करता है कि इकाई 2 फरवरी, 1989 से 40 टन प्रति दिन की क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है और इसके पास ऊर्ध्वाधर शाफ्ट भटटी की तकनीक है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इकाई प्रति दिन 200 टन से कम उत्पादन कर रही है और इसलिए अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र है।

अपील के तहत आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि, इस प्रमाण पत्र के संदर्भ में, एक तर्क उठाया गया था कि यह अधिसूचना की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसलिए, अपीलार्थी को इसके तहत लाभ दिया जाना चाहिए, हालांकि, न्यायाधिकरण ने कलेक्टर (अपील) के आदेश की पुष्टि, यह विचार रखते हुए की कि प्रमाण पत्र अधिसूचना के तहत आवश्यक विवरण का उत्तर नहीं देता है।

श्री रमेश सिंह, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी , एक लघु उद्योग होने के नाते, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों से मुक्त है, और इसलिए, लाईसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता की आवख्यकताओ का अनुपालन करने मे असमर्थ है। उन्होने आगे कहा कि परंतुक यह निर्देश देता है कि एक निर्माता जो अधिसूचना संख्या 175/1986-CE में निहित छूट का लाभ उठाता है, जो केवल S. S. I. पर लागू होती है, छूट अधिसूचना संख्या 23/1989-CE.In का लाभ नहीं मिल सकता है। अन्य शब्दो में, विद्वान अधिवक्ता ने जो प्रस्तुत किया वह यह है कि चूंकि छूट अधिसूचना जो सीमेंट बनाने वाले लघु उदयोगो (जिनके लिये कोई भी अनुज्ञा क्षमता का प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता), पर लागू होती है, इसलिये लघु उदयोग इकाईयो जो दोहरा फायदा ले रही है, परंतुक द्वारा उनके लिये अधिसूचना संख्या 175/1986- सीई के लाभ को लागू होने से बाहर रखा गया है।

अधिसूचना संख्या 175/1986 सीई को पढने से पता चलता है कि यह लघु उदयोग से संबंधित है, जैसा कि इसके पैराग्राफ (4) से स्पष्ट है। विकास आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि एएसआई इकाईयो को औद्वोगिक लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये लाईसेंस क्षमता प्रमाणित करने का सवाल ही नहीं उठता।

जहां तक एसएसआई इकाई की उत्पादन क्षमता का प्रश्न है, निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता की उत्पादन क्षमता 40 टन प्रतिदिन है, जो प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन से बहुत कम है। यह कहना गलत है कि लाईसेंस प्राप्त क्षमता हमेशा उत्पादन क्षमता से कम होगी। राजस्व का यह मामला कभी नहीं रहा कि अधिसचूना एसएसआई द्वारा निर्मित सीमेंट पर लागू नहीं होती। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि एक एसएसआई उदयोग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत छूट प्राप्त उत्पादन क्षमता होना आवश्यक नहीं है। अपीलाकर्ता द्वारा अधिसूचना की अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति के बारे मे कोई विवाद नहीं होने के कारण हमारा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित पोर्टलैंड सीमेंट अधिसूचना के लाभ का हकदार है।

उपर उल्लिखित कारणो से, चुनौती के तहत आदेश को अपास्त किया जाता है। अधिकारियो को अपीलकर्ता द्वारा निर्मित सीमेंट को छूट अधिसूचना संख्या 23/1989 सीई के तहत लाभ बढाने का निर्देश दिया जाता है।

तदुनसार, सिविल अपीलो को स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगी।

अपीले स्वीकार की जाती है।

□□□□□□□□□- □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□□